फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा भीम जिला राजसमन्द।

– प्रार्थी/प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1– श्री भवानी एन्टरप्राईजेज
प्रोपराईटर– श्री लाल सिंह पुत्र श्री तील सिंह
पता– गंगा सिंह जी का खेड़ा, भीम राजसमन्द

2– श्री लाल सिंह पुत्र श्री तील सिंह
प्रोपराईटर– श्री भवानी एन्टरप्राईजेज
पता– गंगा सिंह जी का खेड़ा, भीम राजसमन्द

3– श्री पूनम सिंह पुत्र श्री भूर सिंह
पता– बंगला का बदिया, अमनेर, भीम, राजसमन्द

–ऋणी/प्रोपरोईटर/जमानतदार

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन **पत्रावली संख्या 05/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 18.03.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भीम, राजसमंद ने दिनांकः 18.02.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भीम, राजसमंद से दिनांकः 08.11.2010 को विपक्षी (1) श्री भवानी एन्टरप्राईजेज, प्रोपराईटर– श्री लाल सिंह पुत्र श्री तील सिंह, पता– गंगा सिंह जी का खेड़ा, भीम राजसमन्द (2) श्री लाल सिंह पुत्र श्री तील सिंह, प्रोपराईटर– श्री भवानी एन्टरप्राईजेज, पता– गंगा सिंह जी का खेड़ा, भीम राजसमन्द, (3) श्री पूनम सिंह पुत्र श्री भूर सिंह पता– बंगला का बदिया, अमनेर, भीम, राजसमन्द द्वारा 85000/– ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अंतर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। बंधक अचल सम्पत्ति रिहायशी सम्पत्ति गंगा जी का खेड़ा, भीम, राजसमन्द में स्थित है जो कि श्री लाल सिंह पुत्र श्री तील सिंह के नाम से हैं। चारों सीमाएं पूर्व–मुख्य सड़क, पश्चिम– चंदन मल का मकान, उत्तर– माताजी का मंदिर, दक्षिण– श्री नीनू सिंह का मकान। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है। प्रदत ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चुक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 11.09.2015 को अनर्जक	M

न्यायालय जिला कलक्टर

परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्रधिकृत अधिकारी ने 29.05.2018 को मां नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेज कर के 60 दिन में ऋण राशि रूपये 1,37,384/—(अक्षरे रूपये एक लाख सैंतीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) दिनांक 30.04.2018 तक इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि करने के लिये मांग की है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त हैं। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है। अचल सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार में है, का पता निम्न है बंधक अचल सम्पति :— रिहायशी सम्पत्ति गंगा जी का खेड़ा, भीम, राजसमन्द में स्थित है जो कि श्री लाल सिंह पुत्र श्री तील सिंह के नाम से है। चारों सीमाएं— पूर्व—मुख्य सड़क पश्चिम— चंदन मल का मकान, उत्तर माताजी का मंदिर, दक्षिण— श्री नीनू सिंह का मकान। धारा 14 में अति महत्वपूर्ण संशोधन किया गया हैं जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर आदेश पारित करना हैं, यदि कोई आदेश 30 दिनों के अन्दर पारित नहीं किया जाता हैं तो विलम्ब के लिए कारण दर्ज करने के पश्चात आदेश 60 दिनों के अन्दर दिया जावेगा यह संशोधन भारत के राजपत्र में दिनांक 16.08.2016 को प्रकाशित किया गया हैं। इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 29.05.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांकः 18.12.2018 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ—पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भीम, राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार विपक्षी ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार श्री लाल सिंह पुत्र श्री तील सिंह निवासी गंगा जी खेड़ा, भीम राजसमन्द में रिहायशी सम्पत्ति गंगा जी खेड़ा भीम राजसमन्द में स्थित है जो कि श्री लाल सिंह पुत्र तील सिंह के नाम से है जिसका क्षेत्रफल 1662 वर्गफीट होकर जिसका पड़ौस पूर्व में मुख्य सड़क, पश्चिम में चंदनमल का मकान, उत्तर में माताजी का मंदिर,

दक्षिण में नीनू सिंह का मकान स्थित है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा भीम राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भीम राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)